

Maa Omwadi Degree College

Hassanpur

Exam notes

Subject - Human Resource Management

Class - B.com. 3rd sem.

Session - 2020-21

B.Com II (Optional)
IIIrd Semester
Paper: Human Resource Management
Code 3.06(ii)

Time: 3 Hours

Max Marks: 90
Internal Marks: 10

Note: - The Examiner shall set nine Questions in all covering the whole syllabus. Question No. 1 will be compulsory covering all the units and shall carry 6 small questions of three marks each. The rest of the eight questions will be set from all the four units. The Examiner will set two questions from unit out of which the candidate shall attempt four questions selecting one question from each unit. All the questions shall carry 18 marks each.

Unit-I

An Introduction to Human Resource Management

Definition, Importance objectives and scope of Human Resource Management (HRM).
Functions of Human Resource Management Managerial and Operative
Qualification and Qualities of Human Resource manager in our organization.
Evolution and Growth of Human Recourse Management (HRM) India.

Unit-II

Recruitment Selection and Training

Recruitment: - Meaning, Steps in recruitment policy, sources and modes of recruitment, Factors affecting recruitment.

Selection: - Meaning, Essentials of Selection Procedure, Stages in Selection Procedure.

Training: - Concept, Need and importance of Training.

Methods of Training: - On the job Training + off the job Training, Principles of training, Evaluation of training Programme in India.

Unit-III

Wage and Wage Incentives

Wages: - Meaning, Objective and Theories of wages,

Methods of wage Programme: - Time wages and Piece wages methods

Concept of wages: - Fair, Minimum and Living wage, Factors determining wage

Structure of an organization, essentials of satisfactory wage policy.

Wage Incentives: - Concept, Need and Importance of Incentives. Special Incentives

Prefect sharing and Labour Co. Partnership and Essentials of Ideal Incentives system.

Unit- IV

Industrial Relations and Industrial Unrest

Industrial Relations: - Concept, Importance and Objectives of industrial relations, Contents of industrial relations. Participants of Industrial relation and Recruitment of good Industrial relation Programme.

Industrial Unrest: - Meaning, Forms and Causes of industrial disputes, Impact of Industrial unrest on the Economy, preventive and curative methods and Agencies for Reconciliation of Industrial unrest

Unit-I

Introduction of HRM

features, importance, objects

Evaluation and Growth of HRM

History and Growth of Personnel mgmt in India

Barriers to the Development of HRM in India

Page-

01

02

03

05

06

Unit-II

Meaning of Recruitment & factors

Recruitment Process

Sources

- Selection of meaning + Definition
selection process

Training meaning & objects

methods of Training

Unit-III

Meaning of wages

factors affecting Wages rates

Theory of wages

method of wages (Time & Piece Rate)

Fair & minimum wages

difficulties in determining the minimum wages

minimum wages act - 1948

Meaning of incentives

Type of Incentives & merit, demerit

07

08

09

10

11

12

13

17

17

18

20 - 21

24

25

25

29

29 - 33

Unit-IV

Industrial disputes meaning & features and other (formally)

Causes of Industrial disputes

Machinery for settlement of industrial disputes

Industrial Relations meaning & principle

Effects of Good Industrial relations

Aspects of Industrial relations

25

27

41

42

42 - 44

Unit-I

संस्थाएँ व्यापकीय के हारा जाती हैं तथा व्यापकीय के भाइयमें से कार्य करती है। व्यापकीय के बिना संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। बिना मनवीप्र प्रणाली के संस्था अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकती। व्यापकीय के हारा ही संस्था के कार्यों के लिए इधर जाते हैं तथा कार्य सम्पन्न किए जाते हैं, अतः व्यापकीय निष्पत्ति का से संस्था के लिए अव्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हीं को मनवीप्र संसाधन कहा जाता है।

मनवीप्र संसाधन जिनी भी संस्था में सम्पूर्ण माने जाते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की शाफ्ट के लिए इधर आती है। अर्थात् मनवीप्र संसाधनों का अभी संस्था के पास उपलब्ध हुए राज शास्त्रीय, सूचन दस्तावेज, लोगों की सौच ग्राही की शाक्ति दिया जाता है। जो संस्था के उद्देश्यों की शाफ्ट की दिशा में कार्यरूप होते हैं वे ने कहा है कि वीविकाल में व्यावसायिक घरौनी बाजार, Lt. Urwick द्वारा पेटेंट द्वारा सामग्री के भारण नहीं, बाल्क व्यापकीय के कारण बनते था किंतु है।

मनवीप्र संसाधन फूंक्य

मनवीप्र संसाधन फूंक्य, फूंक्य की बहु छालिया है जिसके हारा संस्था के मनवीप्र संसाधनों का विवास रपा प्राप्त किया जाता है और ऐसे वेला व्यापकीय की मौजूदतमें का फूंक्य नहीं है। बाल्क व्यापकीय की सौच रपा द्वारा की जी संवेदित होता है। मनवीप्र संसाधन फूंक्य संस्था की नीतियाँ, १९६८ के द्वारा काफिलों का सदृश है जिसे हारा व्यापकीय द्वारा संस्था को उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए बैरिंग किया जाता है।

परिचय

Edwin R. Flippo

मनवीप्र संसाधन उपलब्धि, किंवा सामाजिक, उत्प्रेरित, सख-खबर रपा मनवीप्र संसाधनों के इन उल्लेखन के निमित्त, संगठन, नियंत्रण, रपा नियंत्रण, जिसे व्यापकीय, संगठनात्मक रपा सामाजिक उद्देश्यों को प्रय किया जा सके।

विशेषताएँ

(५) उपचार की प्रक्रिया का अंतरिक्ष दित्ता

मह संस्था के सभी स्तरों
के लोगों पर लागू होता है। अद्वैतिकी, धर्मवेशनी, आधिकारिकी,
इन्स्टीट्यूट्यूज तथा उन्हें सभी कार्यालयों पर भी लागू होता है।

(६) समृद्धि काम

संस्थान कार्यालय कार्यालयों का व्यवेचन करता है।

(७) व्यापकीय पर कानून

मह संस्था के उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर
के सभी कार्यालयों पर लागू होता है।

(८) नियमांश पर कानून

कार्यालयों की समालयों का नियन्त्रण करता
जिससे वे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्यरत हो।

(९) नियन्त्रण प्रणिधि

(१०) व्यापक हिता

(११) मानवीय संवेदन पर आधारित

(१२) सार्वजनिक विकासना

(१३) नमा विकास

उद्देश्य

(१) धूर्ण-प्रशासित तथा प्रेरित कार्यालय टैपार करना।

(२) संस्था के हितों के अनुसार उपचार उपलब्ध कराना।

(३) जटिली इशिकाश तथा विकास की तर्जानीक उपलब्ध कराना।

(४) गुणकर्ता को बाहु रखना।

(५) उच्च भवनोबल तथा झटके मानवीय संवेदन पर आधारित करना।

(६) गोप्यता तथा अमोहित होरण करना।

(७) कार्यालयों के बीच इशारों को न्यूनतम करना।

(८) आधारित विकास करना।

महाविद्यालय

(१) संस्थान के लिए महाविद्यालय इस्तेज तथा धूर्णकाश किया

(२) कार्यालयों के लिए आधिकारित करना।

(३) सुनाइथल्या करना।

(४) संस्थानीय मानवान्दोषों को कम करना।

(१) सामाजिक महाविद्यालय

(२) उपलब्ध भवत्ता के अनुसार कार्यालयों का नुस्खा

(३) सन्तुलित रोजगार देना।

(४) अमावश्यक गतिविधियों को कम करना।

(५) सुविधाओं उपलब्ध कराना।

(६) देशीवर महाविद्यालय अवसर प्रदान करना।

(७) आधिकारिक अवसर प्रदान करना।

(८) उपचार महाविद्यालय के बाहु रखना।

(९) उपचार विवरण देना।

(१०) लोअर्स एप्ली के अनुसार "प्रबोध वक्तुओं को निर्देशित करना।

(११) अहीं वालीकरण का विकास करना है। आधुनिक भुग

(१२) भवित्वानुकरण तथा कम्प्यूटर का युग है, तथा ऐसे मानव के बिना कोई

(१३) मानवता वही रखते हैं।

मानवीय संसाधन व्यवेचन का विकास

मानवीय वैशिष्ट्य एवं व्यापकीय वातावरण

में, एक संगठन को प्रबोध वक्तुओं द्वारा सेवालों भी मानवीय संसाधनों भी

कोहिंद श्रमिकों द्वारा है। मानवीय संसाधन व्यवेचन की अवधारणा का उद्देश्य

सेविकार्यों व्यवेचन से हुआ है। सेविकार्यों व्यवेचन के कार्यों की, एक संगठन

में कार्यालयी की "भर्ती एवं नियालो" जीति की वजह से मानविका की

गई। मानवीय व्यवेचन की मवधारणा विकास स्तरों पर जैसे कि औपचारिक

लोअर्स, संगठन, बेतानिक उद्देश्य, जैसे मानवीय संवेदन से गुपरी है

सेविकार्यों व्यवेचन की धारणा को बढ़ाव देना।

हालांकि उद्देश्य की धारणा को बढ़ाव देना।

संसाधन व्यवेचन वे ले लिया है।

१. औपचारिक लोअर्स

जोपचारिक लोअर्स की शुरूआत उन वीं शर्ती में हुई।

इस पुग ने तकनीकी विकास एवं उन्नत कीर्ति के तरीकों के सारण

वक्तुओं का बढ़े स्तर पर उत्पादन किया जौन लिया।

वे स्तर पर उत्पादन करने के लिए, संगठन में नाशीकीर्ति एवं अनुशीकीर्ति तथा उन्नत

कार्यों के लिए तरीकों की मानवान्दोषों की बढ़ाव ली गई।

निम्नों में इन सियासित प्रैवीनिक का पिरा रखा जाता है के कारण ॥ बाहु की समर्पिति ने कार्पुरुशलहरा बोने के लिए, कृष्ण किंगड़म और दिशाविरकरण के सिद्धान्त का अधीपादन किया।

(2) क्रमसंघ का भूग

ज्ञान संघ भाइयों का एक सम्बूद्ध गोपक श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ उत्तेश को ध्यान में रखने के लिए जाता है। ज्ञान संघ में वैज्ञानिक, वैशेषिक व वैरोजगार श्रमिकों की शामिल रिया जाता है। क्रमसंघ का मूल उत्तेश नियोगिता से कार्पिकों के लिए बेहतर मजदूरी, कार्पिक दशाओं, शिक्षापूर्व समाधान, गर्भी व नन्ही श्रमिकों व कार्पिकों व बेहतर दशाओं के लिए संघर्ष करता है।

(3) वैज्ञानिक संघ

उत्पादकता वृद्धि के लिए, नियोगिता व कर्मचारी के मध्य वैशेषिक संसंघ स्थापित करने पर ध्यान दिया गया। F.W.Taylor को वैज्ञानिक फ्रैंक्प का पिरा रखा जाता है। टेलर वै ऑप्पोर्टन कार्पुरुशलहरा बोने के लिए, वैज्ञानिक फ्रैंक्प के सिद्धान्तों का समर्चन व अधीपादन किया।

(4) ऑप्पोर्टन मनोविज्ञान

ऑप्पोर्टन मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धान्तों को संगठन एवं कार्यालय में लागू किया जाता है। इनके कारण संगठन के उद्योगों की आपैके के लिए, कर्मचारियों के कल्पाणा व कार्पिक दशाओं को बोने पर ध्यान दिया जाता है।

(5) मानवीय समाधान विभाग

इस विभाग के समर्थक, कार्यालयों के बालान स्व. उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाता जाता जाता। उद्योग वैज्ञानिक कर्मचारी बोने के लिए, इधुंजी मनस्तरकर्ता, बाल्य विकास संकर गत्वाद्य भेदभाव उत्पादक विकास करते हैं कि फ्रैंक्पकों की अधिकारी, उद्योगों के फ्रैंक्प व अन्वेषणात्मक सम्पूर्ण द्वारा

कार्यालयों का उपनि रखना जाता है कि सिर्फ नियमी उत्पादकता पर मानवीय संबंध विभाग पर,

(6)

इस विभाग ने मानवीय संबंधों के तत्त्वों की पहचान की व उन्हें प्रोत्साहित किया। मानवीय संबंधों की विभाग को अपनीम से कर्मचारियों की उत्पादन की मात्रा व उनके सहनीय स्तर में बढ़ाव देता है। मानवीय संसाधन फ्रैंक्प का इतिहास एवं विकास

आरटी में सैविकार्पि फ्रैंक्प की उत्पादक विकास 1920 से शरम्भ होता है। सन् 1920 में बोर्ड फ्रैंक्प ऑप्पोर्टन संघर्षों के कारण श्रम संघों को मन्त्रीदेवी एवं उनके विकास ने नीति अफसोस से अप्र-सम्बन्धों में नवा मोड़ आया। इस दौरान केलिको मिल्स, दाता स्प्रिंग्स मिल, हिटके राऊड एवं वैज्ञानिक विभाग ने ज्ञान कल्पाण के कारण के लिए घटल की एवं ज्ञान आधिकारी की नियुक्ति की।

1931 में डॉ. एम्प. बिल्ले की अध्यक्षता में स्थापित शाही मानोविज्ञान में अपनी सिवारिशी में सभी कारखानों में मध्यस्थ उद्योग को संप्राप्त करने एवं ज्ञान आधिकारी की नियुक्ति पर जोर दिया।

बोर्ड ऑप्पोर्टन विकास सम्मोहन आर्टिकल 1935 के अंतर्गत, नियमों एवं नियमों में उनके ऑप्पोर्टन सम्बन्ध स्थापित करने, शिक्षापूर्व समाधान की व्यवस्था के लिए ज्ञान कल्पाण आधिकारी नियुक्ति लिए गए। 1937 में बोगल में सरमर के मुख्य पर ज्ञान आधिकारी की नियुक्ति लिए गए। 1941 में सखर ने ग्रि-पर्सनल फ्रैंक्प-सम्मेलन आयोजित किया। जार्मनी आधिकारी पर्सनल 1948 की व्यावर घर में अंतर्गत,

जहां १०० से आधिक श्रमिक कार्य करते हो तो पास किया जाता है, बदा कलानग आधिकारी की नियुक्ति आवेदन है। १९७१ के अनुसार अनुचाल जहां २०० से आधिक श्रमिक कार्य करते हो तो बदा कल आधिकारी की नियुक्ति। खाल आधिकारियम् १९३२ जहां १०० से आधिक श्रमिक कार्य करते हो तो बदा कलानग की नियुक्ति।

१९८० के पश्चात में सेविकार्पि इवंय के क्षेत्र के नेवी से विकाश हुआ। १९७० में १९८० के पश्चात में कल समझाग्रों में वृद्धि होने से श्री सेविकार्पि इवंय का भारत में और अधिक नेवी से विकाश हुआ।

इसमें भारत में समवैप संसाधन इवंय के विकास में वायदे-

- (१) परंपरागत इवंय के सहावादी विवरण्यारा (२) समवैप संसाधन इवंय के कर उत्तराना (३) कल समझाग्रों के मुलसेम के लिए न्यायिक विकाश पर आधिक नियंत्रण (४) आधिक नेवाग्रों के आधिकरण स्वार्थी (५) श्रमिकों की इवाली इवार्ही (६) श्रमिकों का दृष्टिकोण इवंय के लिए अनुदृश्य नहीं।

भारत में समवैप संसाधन इवंय का अविष्य

परिवर्ती इवार्ही का नियंत्रण इवंय के क्षेत्र में श्री बहुत से परिवर्ति हुए हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्थल परंपरागत इवंय के स्थान पर पैदेशर इवंय को आधिक महत्व दिया जा रहा है।

इवंय को की नहीं उन्नीतियाँ - (१) अनुसंधान वृद्धि

(२) विभाग स्तर में वृद्धि (३) तकनीकी विकास (४) राजनीतिक वालाकरण के परिवर्तन (५) कल सामग्री के लोडों में परिवर्ति

अर्थ भर्ती इवार्हा के अंतर्गत संगठन में रिक्त स्थानों के लिए आवेदन पछ ज्ञात करने के लिए आवी कम्पनियाँ वी खोज की जाती है। अर्थ इवार्हा का उद्देश्य परिवर्त वास्तव साधनों का विकास करना तथा उन्हे बनार रखना, पिछले कि जब वी अतिरिक्त कम्पनियाँ वी आवश्यकता पड़े। कम्पनी उन पर नियंत्रित हो सके। आवी कम्पनियाँ वी खोज करने रथा उन्हे कम्पनी जै पहुँच देने के लिए आवेदन करने के लिए इवार्हा करने की सकारात्मक हातिरी है।

परिमाण Edwin B. Flippo के अनुसार भर्ती आवी कम्पनियाँ वी खोज करने तथा उन्हे संस्था में रिक्त कामों के लिए आवेदन करने की हातिरी है।

तर्क / पद

(१) संस्था का आवार
परिमाण का आवार होता है तो कम कमियाँ वी आवश्यकता होती जबकि अच्छी न्यायिक विकासील संगठन के लिए अधिक कमियाँ वी आवश्यक होती हैं।

(२) अतिरिक्त कमियाँ तो बहु में संलग्न की जाती हैं। इन अच्छी न्यायिक संस्था समाज के हाथ द्वारा उत्पादित का बलन करने के लिए भर्ती विवर सम्पर्कों वाली को इवार्हाकरण देती है।

(३) कल संघों का इवार्हा

कल संघ संघों में रिक्त उच्च स्थानों पर भर्ती के लिए दबाव डालते हैं कि इनकी इतरी अतिरिक्त स्थानों से वी जारी विवरणों के आधार पर

(४) अवकाश के समय में सरकारी नीति सरकारी संघों में जॉब का नियंत्रित इवार्हारा SC/ST एवं OBC वर्गों के लिए अतिरिक्त है।

(7) उल्लङ्घन तथा विस्तार का सहरु

वृद्ध मध्यवादी के सहर पर उल्लङ्घन के लिए संस्था को अधिक संख्या में कम्पनियों की आवश्यकता होती है जो तथा संस्था का विस्तार करने पर अतिरिक्त कम्पनियों की आवश्यकता

(8) कार्य की दशाएं

कार्य की दशाएं अंतर्राष्ट्रीय पर संस्था अधिक मात्रामें एवं कुशल तथा पौष्ट्र भौतिकों को आवश्यक कर सकती हो इसके विरुद्ध जागरूकता करना कठिन होगा

(9) दोनों के अवसर

पार कम्पनियों का शक्ति बुरादाह हो सकता है जो दोनों के अवसर हैं। परं दोनों के अवसर के माध्यम पर वो जाएंगी तो संस्था वाक्य ज्ञान से बनकी छाली कर सकती है।

(10) वेळ तथा अन्य लाग

यदि संस्था भावी कम्पनियों के लिए अधिक वेळ हो अन्य लागों का फ़स्तव रखती है तो अधिक संख्या में कुशल एवं पौष्ट्र कम्पनियों उपलब्ध होते हैं।

(11) कम्पनियों की विवरण

संस्था को अनुद्धृत भावी एवं पिछड़ी यात्रियों, उच्च एवं अधिकारियों को किसी नायिकता संघर्ष की दृष्टि का स्पष्ट उल्लेख रखता है।

(12) जर्ती की इकाई (Team)

जर्ती ने एक ज्ञान का इकाई प्राप्त किया है। जर्ती के स्तोत्र (17) जर्ती की विवरण, जर्ती का प्रभावों का उन्नीशण

(13) जर्ती नीटि

कम्पनियों की जर्ती के लिए इलेक्ट्रोनिक कम्पनी में स्कूलिंग नीटि का नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस नीटि का उद्देश्य विकास पैदा कर वो जो वाली जर्ती में अस्तित्व लमाएं

जिसी जी कम्पनी में जर्ती नीटि इसकी अनुबंध संतावन नीटि के अनुसार जी जानी चाहिए। इस फ़रवरी अर्थी के नियंत्रण जर्ती होनी चाहिए।

(ii) नीटि इकाई प्राप्त एवं व्यापक होनी चाहिए।

(iii) भावनापूर्ण संसाधन नीटि के अनुसार

(iv) अर्थी के नीति पर होनी चाहिए। जिन्हीं पर होनी चाहिए होना।

(v) आतंकिक एवं बाह्यी स्त्रीयों का वर्णन होना चाहिए।

(vi) ज्ञान शास्त्री का इकाई प्राप्त

ज्ञान शास्त्री नीटि के अन्यां पर उपलब्ध होनी चाहिए। सही विस्तार व सही संख्या का अनुभव लगाती है।

(vii) अर्थी के स्त्रीत

(i) आतंकिक स्त्रीत (ii) बाह्यी स्त्रीत

(iii) आतंकिक स्त्रीत

एक अर्थी अर्थी नीटि में संगठन में रिक्त स्थानों की जर्ती के लिए विषयान कम्पनियों को इच्छिता दी जाती है। संगठन में विषयान कम्पनियों की पदोन्नति, स्थानांतरण व पदोन्नति जारी की जुरुप आतंकिक स्त्रीत है।

(iv)

1. कम्पनियों को अनिवार्य करना। (i) कम्पनियों का भौतिक उगता (ii) कम्पनियों में विभिन्न कार्यालय का विकास (iii) कम्पनियों में संस्था के लीटे उपलब्ध जी जावना (iv) लगन एवं नियंत्रण से कार्य करना। (v) इन संघर्षों को संकुचित (vi) अपन लगता में करी

(v)

1. नए कम्पनियों को अवसर देनी (vi) व्यापार वार्ता को महत्व

(vi) बाह्यी स्त्रीत

इन कम्पनियों की जर्ती (जर्ती) बाह्यी स्त्रीत से जी जाती है। जैसे

(vii)

शिवाय संघर्ष (viii) विजयन (ix) रोजगार कामिलप (x) व्यापारिक

संख्या (५) अधिकारी और दून (६) कुम सेवा (७) स्ट्रोन्डवार
द्वा (८) कम्पी हार पर शही (९) वह मत कम्पारी के लिए घ
किट्टिदार (१०) उम संपादन के कम्पारी

(१) शही नियम

शही विद्य से जुड़ा है। उस साधन से है पिछले गणित
से इस कम्पी आवी कम्पारी (इत्यारी से सम्बन्ध इत्यारी करते हैं)
इसका उद्देश्य आवी कम्पारी के संस्था के बारे में जानकारी
पढ़ना करना वह उसे संख्या में मार्केट पर देने के लिए
हित्यारी करना है।

(२) शही कार्यक्रम का दृष्टिरीण

शही कार्यक्रम का दृष्टिरीण
उत्तम है। यह नियम के शही कार्यक्रम पर अध्यागम
व्यव उपयोगी है। अध्यागमी शही शोले के लिए
विकास के लिए जी यह दृष्टिरीण आयथ है।

व्यवन का अर्थ

कम्पारी की शही करने के बाद उन्होंने उपयुक्त
कम्पारी का चुनाव लिया जाता है। अर्थात् कं सकारात्मक
होता है। इस कार्यक्रम से अधिक शंख्या में नार्किनी के
शोले करने के लिए भाष्यार्थ एवं नीति के बारे में हपाता
किया जाता है। यह व्यवन एवं नकारात्मक लिया है। इसका उद्देश्य
शोली की इस फ़कार व्यावी बत्ता है विकल पौष्टि लाइटी
का ही न्युनाव हो सके।

उल्लेख के अनुसार

व्यवन वह लिया है, जिसे रोजगार के लाइटी के
दो शोलों में बांदा जाता है, वे जिसे रोजगार लिया जाता है
हम के किन्तु रोजगार नहीं लिया जाता है।

व्यवन की लाइटी

(१) लाइटी परों की लाइटी (२) लाइटी साकारात्मक (३) शही
लाइटी पर (४) लियिंग परीक्षण (५) रोजगार साकारात्मक (६) सेवामी
की जांच (७) शारीरिक परीक्षा (८) रेखीय फ़ब्बंदी हारा अंतिम
नियम (९) नियुक्ति

शही लाइटी का

जो शही लाइटी साकारात्मक में उपयुक्त हो जाता है। इसे
एवं इसे इस नियरित लाइटी के लाइटी पर असे के लिए लिया
जाता है। यिसे लिये लाइटी लाइटी व्यावी, व्यावी, कार्यक्रम
अनुभव, व्यावी, संकरी, उत्तर स्वीकार वेल, भवानेश्वरी
रत्न,

लियिंग परीक्षण

जो लाइटी के लाइटी परों की उपयुक्त समस्या जाता है।
इन लाइटी के व्यावी, उपलाइटी, व्यावी, सेवा उपयुक्त
की लाइटी का लियिंग में अधिकारी किया जाता है।

रोजगार साकारात्मक

जो शही लियिंग परीक्षा पास कर ली है, तो
साकारात्मक के लिए उल्लासा जाता है।

सेवामी की जांच

शही लाइटी से लाइटी पर जो उन दो दोसे भवित
व्यावी के आम तौर पर जागे जाते हैं जो लाइटी की
पौष्टि है।

नियुक्ति रेखीय फ़ब्बंदी हारा अंतिम नियम

जो शही सभी रेखीय फ़ब्बंदक के दूसरे व्यावी के लिए
लाइटी है, तो रेखीय फ़ब्बंदक के दूसरे व्यावी के लिए
शेषा जाता है।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण, मनवीय समाज की आधारशिला है। तत्त्वज्ञान के नियमों के लिए, उपर्युक्त अतीत संचार की पर्याप्त नहीं होती है। ज्ञानी दर्शकों द्वारा श्री भावशंख के भावशंख के साथ ही लक्षणीय इन विज्ञान क्षेत्रों से विज्ञान हुआ है। श्रीकृष्ण विज्ञान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रशिक्षण द्वारा देखी गई विज्ञान क्षेत्रों से विज्ञान हुआ है। श्रीकृष्ण विज्ञान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रशिक्षण द्वारा देखी गई विज्ञान क्षेत्रों से विज्ञान हुआ है।

प्रशिक्षण के अनुरूप कर्मचारियों की आवश्यकता है। यह कौशल विज्ञान विज्ञानों के अनुरूप है तो त्रिशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यह कौशल में विज्ञान की आवश्यकता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों के पर्याप्त मानदंडों के लिए विज्ञान क्षेत्रों पर कार्य की आवश्यकता है। यह विज्ञान की आवश्यकता है।

परिमाप

1. डिलरेक्टर के अनुसार

प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग किसी नियंत्रित उद्देश्य के लिए ज्ञान सीखते हैं।

2. डिलरेक्टर के अनुसार

प्रशिक्षण एक व्याप्ति है जिसके द्वारा अनुशासन को इसके H.R.D. फॉर्म जैसे बाले विशेष कार्य के भौतिक बनाया जाता है।

उद्देश्य

(1) संगठन की वह विज्ञान में गावी आवश्यकताओं के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना।

(2) मनवीय सम्प्रयत्नों को देकर्ना कर्मचारियों की नई व्यवस्थाओं

पर विशिक्षण द्वारा नई विधियों का ज्ञान देने से कर्मचारियों के अनुशासन को देकर्ना जाता है।

(3) कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना

मनोबल एक मानसिक एवं आवगालक स्थिरता है जिसमें कार्य करने के लिए व्यवस्थापूर्वी होती है और व्याकरण तथा संगठन के उद्देश्यों को व्यवस्थापूर्वी करती है।

(4) कार्य की गुणवत्ता में सुधार

कार्य की उन्नित विधि का ज्ञान देने से कार्य में विशेषता हो जाती है।

(5) कर्मचारियों को उच्च स्तरीय कार्यों के लिए तैयार करना;

(6) संगठन के सभी स्तरों पर कर्मचारियों की व्याप्ति बनाए रखना

संगठन के सभी स्तरों पर मैट्रिस, कूशल एवं श्रोत कर्मचारियों की व्याप्ति बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

(7) दिलरेक्टर द्वारा कर्मी

प्रशिक्षित कर्मचारी उपर्युक्त कार्यों में निषुण होते हैं तो उन्हें कर्मी करने की सही विधि का ज्ञान होता है जिसके लिए अधिक पर्याप्तता व्याप्ति भी आवश्यकता नहीं पर्ती।

(8) कर्मी ज्ञान के बहुमुखी (9) विशिक्षण ज्ञान एवं कौशल का विकास

प्रशिक्षण की विधियाँ

(A) व्यक्तिगत लिए

1. कार्य परिवर्तन

2. प्रौढ़ीत्वाला प्रशिक्षण

3. शिक्षाधीन प्रशिक्षण

4. अनुमती कर्मचारियों की द्वारा

5. परिवेशीकृत द्वारा

6. प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान

(B) व्यवस्थाकीय लिए

1. श्रमिकों द्वारा

2. असिस्टेंट ड्राली

3. व्यवस्थाकीय ड्रैल

4. समस्त समाज

5. व्यवस्थापन द्वारा

6. घटना पर्याप्ति कार्यक्रम

(8) शारीरिकों के लिए

(1) कार्य पर त्रिशिरियां

इन प्रश्नाली सभी त्रिशिरियां हैं। अधिकांश, अंतुगवी, तुबल कम्पीसी, शारीरिकों की कार्य के दोसरा लिमा जाता है। इन शारीरिकों के वास्तविक वातावरण में परिवर्तनों से परिवर्तित करना।

(2) हृदयांतर्काली त्रिशिरियां

इस विधि में कार्य का त्रिशिरियां बारबार से उलगा एक विशेष त्रिशिरियां आता है। इसी त्रिशिरियां द्वारा जिम्मेदारी का लिमा जाता है। अधिकांश कारबोन ऐसा वातावरण तथा कार्य स्थिरता का लिमा जाता है। अधिकांश कारबोन के कार्य स्थिरता के द्वारा इस विशेष-त्रिशिरियां का में अंतुगवी त्रिशिरियां। DKA (2)

(3) शारीरिक त्रिशिरियां

इन शारीरिकों हात की तुरखलहाँ छापत-पट्टी के लिए एक लग्नी अवधि तक कार्य करने का अव्याप्ति (2/1923) है। इस विधि के त्रिशिरियां लेने वाले को अप्रैंटिस कहते हैं।

(4) अंतुगवी शारीरिकों हात की त्रिशिरियां

इन शारीरिकों की त्रिशिरियां अंतुगवी शारीरिकों हात की लिमा जाता है।

(5) पर्फर्मेंटों की हात की त्रिशिरियां

इस विधि के पर्फर्मेंटों की हात

त्रिशिरियां दिमा जाता है

(6) लाइसेंस के द्वारा पर त्रिशिरियां

विशेष त्रिशिरियां के द्वारा की त्रिशिरियां की जाती हैं। अलग-अलग सम्बन्धों के लिए अलग-2 त्रिशिरियां के द्वारा जाती हैं। त्रिशिरियां एवं सेवानीम विभागों की जाती हैं।

(7) संयुक्त त्रिशिरियां

इस विधि में त्रिशिरियां शिक्षा संस्थाएँ व प्रावसानिक शिक्षां संस्थाएँ फिलक्ट अपने सम्बन्धों में संयुक्त त्रिशिरियां होते हैं।

(8) हृदयांतर्काली त्रिशिरियां

(1) कार्य परिवर्तन (Job Rotation)

इस हृदयांतर्काली के द्वारा सभी के विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरीके विभिन्न विभागों में अलग-2 दो दो त्रिशिरियां सभी के लिए उपलब्ध जाता है।

(2) सदाचाल पदवी (Aristotle-to Positions)

इस पड़ावी में त्रिशिरियां की को जगते विभाग के विशेष हृदयांतर्काल का सदाचाल नियुक्त कर दिया जाता है। समितियों व प्रौद्योगिकी को

इस पड़ावी में त्रिशिरियां की विभाग में विशेषकर हृदयांतर्काल सम्बन्धी सम्भागों पर अपने विभाग प्रौद्योगिकी के लिए आगंत्रित एवं नियुक्त किया जाता है।

(3) विशेष संगोला

इस पड़ावी में त्रिशिरियां की नियुक्त क्षमता, विशेष, तुबल सेवावाहन और गुणों का विकास करने का सम्बन्ध जिम्मा जाता है। सम्भालन की सम्भालनीय हाल दोपा तीन दिन द्वीपों द्वारा होता है।

(4) इन-वाल्टर त्रिशिरियां विधि

इस विधि में त्रिशिरियां की विभाग सम्बन्धी सम्भाले हुए वाल्टर में डाली जाती है। उद्देश्य इस सम्भाल के सम्भाल में इसी ओर दिमा जाता है। योंके विभिन्न सम्भाल के बाद उसे उस सम्भाल का समाधान करने के कामार्थों

(6) पठना पढ़ो
सभे अंतर्राष्ट्रीय विशेष घटना का नियमित किमा जाता है। उस घटना के समय जो लार्योकानाडीमों को प्रभावित किया जाता है। लार्योकानाडीमों को उस घटना का किमा गर्स विवरण को द्याता से रखकर अंतर्राष्ट्रीय किमा के लिए कहा जाता है।

(7) भूगोलीक नियम विधि → कोई भी पार्टी किमी भी प्रदूषक उत्तरवाहिका को तब तक नहीं समझता जब तक वह वास्तव में उस प्रदूष पर न पहुंच जाते। रसीद लार्योकानाडीमों को अलग और अन्य किमी के लिए कहा जाता है। ऐनपर कलाकृति, फोरमेन आदि

(8) प्राकृतिक खेत विधि → इस विधि में लार्योकानाडीमों को विभिन्न दोनों में बांट किया जाता है। उन्हें एक दूसरे के लार्योकानाडी की व्यापकी दी जाती है। इस को अपने सदृश के हिस्से में लेना होता है।

(9) संस्थान का समाधान → इस लार्योकानाडीमों को प्राकृतिक संस्थान का लियित क्रम से विस्तृत टॉपोरा दिया जाता है। किमी के संस्थान का जाता है। उनके साथ ही उन्हें संस्थान की संगठन संस्थान, प्राकृतिक विभाग, उद्योगों आदि का भी सम्मुखीय दिया जाता है।

(10) दृष्टिकोण से ८ छाता आधारित कार्यक्रम → इसके दृष्टिकोण से ८ छाता आधारित कार्यक्रम
पर दृष्टिकोण के द्वारा दी जाती वाले प्राकृतिक संस्थानों का नियम नी-२ लार्योकानाडीमों से अपने संस्थानों को प्राकृतिक करना चाहते रहते हैं। इसके लालू को के बिंदुकर्णी इन लालू को का आवासित किमा जाता है।

Unit-3

मजदूरी से आग्रहित क्रामिकों हारा फूदन की गई सेवाओं के बदले बाप्त दीने वाले लार्योकानाडीमों को मजदूरी कहा जाता है। यह दैनिक, साप्ताहिक, पाविक, प्राप्तिक (हरि दृष्टि) अथवा लार्योकानाडी हो सकती है। लार्योकानाडी द्वारा फूदन की गई सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यायामिक तथा मानानीक दौरी फूदन की सेवाओं की शामिल किमा जाता है।

परिवारों

1. बैन्धन के अनुसार मजदूरी के अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय वाले रासी हैं जो नियमिता छाता आधारित की उत्तरी सेवाओं के बदले दी जाती है।
2. होठ भैनाले के अनुसार श्रम के उपयोग के बदले जुगलानी की गई व्यवहार को मजदूरी कहा जाता है।

3. According ॥० "मजदूरी किमी क्रामिक की सेवाओं के लिए, पिसे लार्योकानाडी, दैनिक, साप्ताहिक, या पाविक जुगलाने करने की शर्तों पर नियुक्ति किमा जाता है, नियुक्तियों द्वारा उम्माता जापा जुगलान है।"

मजदूरी को लार्योकानाडी करने वाले तत्व

- 4) कर्मचारियों की मांग एवं गुर्ति → पार्ट आधारित की मांग उनकी गुर्ति की उपेक्षा अद्यता हो गई मजदूरी की दर उन्हीं होती है। रसीद विपरीत ही एवं पर मजदूरी की दर वीची होती।

- 5) जुगलान क्रमता → यह उपयोग में लालू अद्यता होती है। वह मप्पर की दर अद्यता होती है। लालू का होने पर मप्परी का होती है।

(3) न्यालिंग मजदूरी की दोनों

पार्ट वाजार में अन्य लोगों से श्रमिकों
की दर उच्च होती है तो फ्लैक पार्ट की ऊपरी दर परी
मजदूरी का अनुत्तम कसा पहला हो नहीं हो श्रमिक उपरोक्त
व्होडर अन्य उपरोक्त में न्यौले जाते हैं।

(4) सेवकाली की व्यवस्था

नियोक्ताओं स्थि श्रमिकों वी सोना करने
की व्यवस्था होती है।

(5) उपरित निवृद्धि लागत

वीक्षण निवृद्धि लागत और मजदूरी की
इकाई करती है। मूल निर्देशांक में पार्वती के साथ
मजदूरी की दरों में भी परिवर्तन होता है।

(6) अम वी उत्पादकता

आधिक उत्पादक करने वाले श्रमिकों की
अधिक मजदूरी इसके विपरीत होते हैं कम मजदूरी दी जाती है।

(7) काम की अपेक्षाएँ

पट्टा क्षम, कोशल, उत्तराधिकारी दोषीयिता
की गाड़ी आधिक होती है वहां आधिक मजदूरी तथा इसके
विपरीत होती है तो कम मजदूरी दी जाती है।

(8) फ्रैटिस्पर्की की अवधि

(9) सरकारी वीट

मजदूरी सरकार तथा फ्रैटिस्पर्की अविभिन्न
होती जाती है।

(10) वीक्षण निवृद्धि मजदूरी का सिंहांत्र

इस सिंहांत्र के अंतर्गत मजदूरी
दर का नियोक्तावाल वीक्षण निवृद्धि के आधार पर किया जाता है।

मौर वीक्षणाल में मजदूरी की दर वीक्षण निवृद्धि के बराबर होती है।
आधिकाल मजदूरी की दर में अनुत्तम वीक्षण निवृद्धि से हुड़ि होने
की दशा में श्रमिक आधिक संतुल उत्पन्न करने लगते हैं इसके
प्रत्येक व्यवस्था में होती होती है। जिनके परिणाम व्यवस्था
मजदूरी दर द्वारा से घटकर वीक्षण निवृद्धि दर आ जाती है।
इसके विपरीत यदि वीक्षणाल में मजदूरी की दर अनुत्तम
वीक्षण निवृद्धि स्तर से कम होती है तो श्रमिकों में अनुभवित एवं
मूल्युद्धर बोडी प्रिवेट परिणामस्वरूप मजदूरी दर एवं वीक्षण निवृद्धि स्तर पर आ जाती है।

(2) मजदूरी का वीक्षण-स्तर सिंहांत्र

इसके व्यवसायक डॉ मार्क्स द्वारा
इसमें श्रमिकों की मजदूरी का वीक्षण उके वीक्षण स्तर के
अनुत्तम होता चाहिए। मजदूर की इसी मजदूरी अवधि स्तर के
विपरीत जिससे वह उसे स्तर को काम रख रखे। वीक्षण
श्रमिकों के वीक्षण स्तर में अनुर व्यापा जाता है।

(3) मजदूरी की वीक्षण सिंहांत्र

इसके व्यवसायक डॉ मार्क्स द्वारा
उ) मजदूरी के रूपमें श्रमिकों को दी जीन लाती रही (ए) श्रम दीन
वाले श्रमिकों की संख्या

$\text{Wage Rate} = \frac{\text{Wage fund}}{\text{No. of workers}}$

मजदूरी दर को तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि
मजदूरी की वीक्षण में हुड़ि हो भा श्रमिकों की संख्या में कमी

(5) मजदूरी का अवधि आधिकाली सिंहांत्र

इसके व्यवसायक डॉ मार्क्स

इसके मपद्धरी कार्यक्रम की उत्पादकता हारा नियोगित होती है।
इसके अनुसार इसका

मपद्धरी = कुल उत्पादन - लगान - व्याप - लाभ
इसके कार्यक्रमों की कार्यक्रम के अनुसार उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(५) मपद्धरी की सीमाएँ उत्पादकता का नियोगित

सीमा की उत्पादकता से अधिक सम्बन्ध साधन स्थिर रहने पर इस कार्यक्रम की व्याप्ति से कुल आय ज्ञात होने वाला परिवर्तन होता है।

मपद्धरी गुणात्मक की विधियाँ

१. सम्प्रभासार मपद्धरी (२) कार्यक्रम की मपद्धरी (३) दौषधीय व्यापक व्यवस्था परिवर्तन (४) दैशिक मपद्धरी योजनाएँ

(५) सम्प्रभासार मपद्धरी

इसमें कार्यक्रमों को मपद्धरी का भुगतान देने के द्वारा कर्तव्यों में विवरण गणना सम्बन्ध के आधार पर किया जाता है। इसके कार्यक्रमों को मपद्धरी एवं नियोगित सम्बन्ध के अनुसार नीचे जाती है - नीचे घटा, छोटे दिन, छोटी सत्राएँ, जहाँ महीना।

लाभ

(१) गणना में सखलता (२) नियोगित मपद्धरी की गणना (३) उत्पादन की मध्यवर्ती किमान (४) लगान संबंधी हारा स्वीकृत (५) साधनों का उपयोग (६) दूरविनाओं में कमी

द्वारा (१) कुशल कर्मचारीयों के साथ सम्बन्ध (२) दैशिक का अध्ययन (३) नियोगित व्यवस्था में कमी (४) अधिकारीय संबंध (५) संपर्क

(६) कार्यक्रम की कार्यक्रमों की अनुसार मपद्धरी परिवर्तन

वस्त्र नियोगित की कार्यक्रमों के अनुसार मपद्धरी का भुगतान किया जाता है। इसमें सम्बन्ध की व्यापक नीचे होता है, जो नियोगित किमान उत्पादन करता है उसे उसी आधार पर मपद्धरी का भुगतान किया जाता है। इसमें उत्पादन की व्यापक नियोगित का नियोगित पहले ही कर लिया जाता है।

लाभ १. कार्यक्रमों की व्यवस्था इसमें कार्यक्रमों से मध्यवर्ती कार्यक्रमों के लिए व्यापक व्यवस्था होता है।

२. परिवर्तन व्यापक में कमी

इसमें कार्यक्रमों की व्यवस्था में कमी होती है। कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। इसलिए परिवर्तन व्यापक में कमी होती है।

३. योजना के अनुसार मपद्धरी

इसमें मपद्धरी का भुगतान कार्यक्रमों में व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

४. उत्पादन लगान में कमी

फ्रैंक शास्त्री द्वारा अधिक उत्पादन व्यापक जाता है इसलिए उत्पादन व्यापक जाता है इसलिए उत्पादन व्यापक जाता है।

५. मध्यवर्ती का सुधारणा

कार्यक्रमों की मपद्धरी उत्पादन के अनुसार इसलिए व्यवस्था के मध्यवर्ती का बेहतर उपयोग करते हैं।

६. उत्पादन व्यवस्था में बदलाव (७) कार्यक्रमों में गतिशीलता

द्वारा

(१) वस्त्र के बदलाव में कमी (२) इनाम पर कुरा फ्रैंक व्यापक (३) मध्यवर्ती व्यवस्था में कमी का दुरुप्योग (४) आय की अनियोगितता (५) कार्यक्रम सम्बन्धीयों में कमी होती है (६) अनुप्रबलता (७) लगान व्यवस्था

⑤ दूसरे हालाली भेजना

इसका इतिहास कनाडा मिलारी की एफआर
हैल्स ने 1890 बीमे किया। इसमें हमारे कागजी में लिखे
बोला हमारे सभी इपोग विलिंग हारा निवारित किया जाता
है तभा मजदूरी की दर निवारित कर ली जाती है। जो शाखियाँ
हमारे सभी से पहले काग छार कर लैवे हैं तो उसे निष्पत्ति
कुराइ लिया जाता है। पहले जो शाखियाँ सभी से पहले काग
छार कर लैवे हैं उसे निष्पत्ति मजदूरी के साथ एक निष्पत्ति
ही निष्पत्ति दिया जाता है। शाखियाँ ने क्यारे गरु, सभी के लिए
33% से 50% तक प्रतिशत दिया जाता है।

$$TW = TXR + t \times EPXY$$

लाल 1. सरल (2) निष्पत्ति मजदूरी का अध्यासन (3) शालकी रूपा
शाखियों की लाग 4) कामकाज़ा में छारी 5) संगठने करी
द्वितीयी 1. लाग का गलत विवरण 2. किसीमें भिराट 3. हमारे
निष्पत्ति में बांधाई 4. हरासन की दाढ़ी से अनुभुवका

⑥ टेलर गिननक कार्यानुसार पढ़ी है

इसका इतिहास 1880 गे फ्रेंड
TAYLOR ने दिया। इसका उद्देश्य (1) शाखियों की दूषी
कागड़ी का उपयोग करना (2) मजदूरी में अटोरि के अनु
को इर करना। इत्येक लाभ के लिए हमारे सभी
निष्पत्ति कर लिया जाता है तभा मजदूरी की दर निवारित कर
ली जाती है। उंची दर्दुन नीची दर। पहली शाखियों
को Standard time करता है तो उन्होंकी उच्ची अनुभुव
दी जाती है और निष्पत्ति होती है तो उच्च मजदूरी की जाती है।

⑤ इसकी कार्यकारी हालाली भेजना

इसके इतिहास के दृष्टिकोण से इसके हालाली भेजने
इसकी है। इसमें आधिलालीका शाखियों की कार्यानुबालना पर
निवारित करता है। इसमें सभी रभा जारी अध्यासन के छारा
हुआपों का निवारित कर लिया जाता है। इसमें देशी प्रपट्टी
निष्पत्ति होती है जो शाखियों के बराबर काम कर लेते हैं
उनकी कार्यकारीता 100%। और बोनस 25% दिया जाता है।
पहियों की शाखियों 60% दी जाती जाता है तो उने निष्पत्ति
मजदूरी का जुगाई दिया जाता है। 66% से 90% तक 10%
बोनस। 100% से शाखियों होने पर ज्ञात 10% दृष्टि 10% दृष्टि पर 10% बोनस

⑥ इस्टर्मेन की उत्पादन बोनल हालाली

इस भाष्यामें सप्ताह
का हमारे उत्पादन रूप कर लिया जाता है। पहियों उस सप्ताह
का वास्तविक उत्पादन, हमारे उत्पादन से कम या बराबर रहता
है ही सभी उत्पादन मजदूरी की जाती है। पहियों वास्तविक उत्पादन,
हमारे उत्पादन से अधिक होता है तो इस अतिरिक्त उत्पादन
के लाभ को उससे सम्बन्धित शाखियों में उनकी मजदूरी के
अनुपात में बांट दिया जाता है। इसमें बोनल सभी प्रकार
के शाखियों को दिया जाता है।

$$P = \frac{EP}{SP} \times 100$$

EP = Extra Production (AP - SP)

SP = Standard Production.

न्यूनतम भजदूरी की वह काम से कम राशि जो लेनानिक, इटिलोग से रक्खी जानी चाहिए ताकि उसका भजदूरी की वह न्यूनतम रीता जो नियमित इतर नियारित की गई है। यह भजदूरी की वह राशि है जिसे कम भजदूरी आपके स्वीकार नहीं करेगा जोह नहीं नियोगिता बताते कम भजदूरी का शुगतम आपको की करेगा।

Fair Wages Committee के मुताब्दी न्यूनतम भजदूरी वह भजदूरी है जो न केवल श्रमिकों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बल्कि उनकी कामकुशलता को बढ़ाए रखने के लिए उन्हें शिक्षा, विकास संबंधी आवश्यकताएं एवं सुधारणाएं उपलब्ध कराए।

पांच भजदूरी का नियरित नियमिता पर छोड़किए। जास्ता हो श्रमिकों का बोधन कर रहे हैं। वह श्रोतुओं के रैपोर्ट के लिए न्यूनतम भजदूरी का नियरित मासिं आवश्यक है) इमर्ग देश में श्रमिकों के बोधन से व्यापक, कामितमता में बढ़ाइ, श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार, उपादन में ही ही करने एवं क्रम कल्याण के उद्देश्य से न्यूनतम भजदूरी अधिनियम १९५४ पारित किया गया।

न्यूनतम भजदूरी की दृष्टि

- (1) सम्पाद्यार्थ भजदूरी शुगतम के लिए न्यूनतम भजदूरी समय दर
- (2) कामकुशार भजदूरी शुगतम के लिए न्यूनतम कामदर
- (3) ग्राहन्तीदर : - न्यूनतम कामकुशार भजदूरी की गणना की
- (4) आपेक्षित समय : अतिरिक्त काम के लिए नियारित न्यूनतम पर
- (5) शिव्यन-दर : कामिके लिए न्यूनतम भजदूरी

सिर्फ न्यूनतम भजदूरी के नियरित में कठिनाई

(1) आधार स्तर का अन्याय

मादि न्यूनतम भजदूरी नियरित में कम भजदूरी का आधार स्तर लेते हैं ऐसे स्तर कामिक असन्तुष्ट होंगे यदि इस आधार स्तर लेते हैं तो श्रमिकों को जाह्या होगा लेकिन कुशल एवं नियुण आपके मापदंशलता एवं नियंत्रण का लाभ नहीं उठाएगा उपेक्षितमों को श्री हात का सम्मान करना पैदा श्रमिकों की मांग एवं उपेक्षित के शुगतम की दायरा

इसी समस्या है मांग (कामिक सदा इसी भजदूरी दर की मांग करते हैं लेकिन नियमित उपेक्षित के शुगतम की दायरा पर द्यान देते हैं एवं जापानी आपके भजदूरी से उपेक्षित को दीने उग्नी पड़ती है)

(2) नियारित लाभ सूचकांक

सम्म र्या स्थान के साप-साय नियारित लाभों में धरिवती होता है श्रमिकों की कामकुशलता गे अन्तर,

उपेक्षित एवं नियुण होते हैं तुक्के श्रमिकों की कामकुशलता कम होती है

न्यूनतम भजदूरी अधिनियम १९५४

किसी भी आपेक्षित संस्था की उपादन क्षमता एवं लागती दृमता में श्रमिकों का गहन्यूण स्थान होता है) मादि आपके साहित एवं कामकुशल होते हो संस्था के लक्ष्यों की आसनी से बाहर बिया जा सकता है। अबी कामकुशलता की बढ़ते रखने के लिए उन्हें आपके से जापिय, भजदूरी वीजर नियोगिता जपन उपादन एवं लाभ को अद्युक्तग

करना चाहता है परंपरागत क्रान्तिकारों के व्युत्तम सुविधाएँ न
मजदूरी के बहुत सहज करना चाहता है। इनका लाभ अधिक
मजदूरी द्वारा है। यौवन जपने ही रक्त के लिए
सामूहिक सोरक्षण को अपनाते हैं। यिन्हें वह पहली प्रतीक
के कारण नियोक्ता वर्ग क्रान्तिकारों का व्यापार करते हैं। परिवर्तन
को जनकूल व्यापार इव्वत के लिए सरकार सकारात्मक अधिकारी
नियार्थी है। इसके लिए सरकार द्वारा व्युत्तम मजदूरी अधिकारी 1948
बनाया गया।

आधिकारी के उद्देश्य

(1) द्वितीय क्रम आधिकारी ने बाहर जैसे संकारण करने की
एवं इनकी समाप्ति होती है। इस आधिकारी के हारा
नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक करनी है कि व्युत्तम
मजदूरी का जुगलन क्रान्तिकारों के लिए जारी

(2) समस्याएँ में वाहिनी को मजदूरी आधिकारी पर लागू
हो उनकी कार्यकारीता में दृष्टि देती।

(3) समस्याएँ → क्रान्तिकारों की कार्यकारीता में दृष्टि एवं उद्देश्यानु
से द्वारा दिलाये के अतिरिक्त क्रान्तिकारी के अन्य ही की
दृष्टि एवं व्यवस्थाएँ के व्यवस्थाएँ इस आधिकारिक से हों।

(4) मध्यूर आधिकारिक संवेदन → यांच व्युत्तम सरकार मजदूरी नियार्थी
कर दी जाएगी तो क्रान्तिकारों में विवाद नहीं होगा।

(5) कुक्का वा भावना → इसके क्रान्तिकारों का दैवत कह देता है।
उत्त्यान में दृष्टि एवं उत्त्यान लागत में कमी। इस आधिकारिक से
हारा क्रान्तिकारों की कार्यकारीता में दृष्टि देती।

व्युत्तम मजदूरी अधिकारी की व्यवस्थाएँ (प्रावधान)
इन व्यवस्थाओं

का पालन करना नियोक्ता के लिए अनिवार्य लिया जाया है। इन
इन नियमों को लागू नहीं करती है तो उसके लिए यह
की व्यवस्थाओं का भी हासिल है।

(1) व्युत्तम मजदूरी की दरों का नियार्थण

इस आधिकारिक में केंद्रीय
ओर राज्य सरकारों को विभिन्न व्यवस्थाओं में कामरहं सभी
नियोक्ताओं के लिए व्युत्तम पारिशास्त्र नियार्थित करने का
आधिकार दिया गया है।

(2) मजदूरी की व्युत्तम दर

इस आधिकारिक के अंतर्गत औने वाले
उपर्योग एवं व्यवस्थाओं के लिए व्युत्तम मजदूरी नियार्थित करते
सभी नियम वाले को शान्ति करना चाहिए ताकि यह लागत भरा, सख्त दरे।

(3) व्युत्तम वेतन नियार्थण का कार्य

व्युत्तम मजदूरी की दरों के
नियार्थण एवं संशोधन के लिए सलाह देने वाली संसिद्धियां एवं
मण्डल के वामों में समवय लोन के उद्देश्य से सरकार परामर्श
मण्डल भी स्थापित कर सकती है।

(4) दैनिक कामों के लाभों का नियार्थण

उपर्योग में दैनिक कार्य के व्यवहारों
को नियार्थित रूप से सप्ताह में एक छुट्टी का नियार्थण करना
आवश्यक दर छुट्टी के दिन या अतिरिक्त समय कार्य करने
के लिए क्रान्तिकारी के लिए आवश्यक दर का नियार्थण करना।

(5) रिकार्ड एवं रजिस्टर नियोक्ता को अपने भावों क्रान्तिकारी की नियुक्ति
का रिकार्ड रखना तथा नियुक्ति दिया से वाऽनो का विवरण रखना

(7) प्रैरणा का अर्थ
भी उपेंग मे सम्बन्धित आधिकारी लोकोंमों का पालन
नहीं करेगा तो उसे द्या भवति केव पा ५०० रुपया।
पा दोनों दृष्टि द्वारा सज्जे हो।

उन्नित भजद्वारी
उपेंगों द्वारा ऐसी भजद्वारी की दर का नियन्त्रण
करना जो ग्रुगलन की दृष्टि से उन्नित है।
भजद्वारी की उस दर के उन्नित भजद्वारी कदा पाल है
जबकि वह भजद्वारी उसी प्रकार के व्यवसाय मे कार्य करते
बोले अन्य श्रमिकों के समान हो तब उस दृष्टि के अन्य
समान उपेंगों मे भी भजद्वारी का ग्रुगलन उसी दर से किए
जा रहा है।

परिग्राह सामाजिक विकास विश्वनाथ के अनुसार
"उन्नित भजद्वारी से
ग्राम्य उस पारिवेषक से है, जो कि श्रामिकों के समान
दक्षता, कठिनाई अथवा असमिया के कार्य के व्यापारिक सम्पर्क
पैदा जाता है"

व्यवसायीय विकास

प्रैरणा का अर्थ

प्रैरणा का अर्थ उस मनोवैज्ञानिक उद्देश्य से है जो व्यक्ति
को लाप्तिकील भावी है उन्होंने आधिकारी कार्य करने के लिए दैरित
करते हैं। शोध से पता चलता है कि प्रैरणा द्वारा परिग्राह में
उच्च व्यवसाय के सम्बन्ध पाया जाता है इसके पार्श्वी के लिए
प्रैरणा की मानवशक्ति होती है। प्रैरणा के अन्नाब मे लक्ष्य पर
दृक्षय का क्षेत्र होता है। सम्भावी तभी कार्य करते हैं जब रेसा
करता है उनके लिए लाभप्रद है।

जारी आरंडरी के अनुसार प्रैरणा वह है जो ड्राईसाइट करती है या
ग्राम्यविधि को ड्राईसाइट करने की तक्षीत रखती है।

प्रैरणारो

(A) विशेष प्रैरणारो

(1) मध्यगार्ड भ्रा

(2) लाल- भ्रागिर

(3) बेमस

(4) समान भजद्वारी देरे

(5) पैंसान

(6) पैंसरा के आधार पर बाधिक व्याप

(7) सदभ्रागिता

(B) अनिश्चित प्रैरणारो

1. नौकरी की छुरका

2. प्रारम्भोडिता

3. उन्नाह के अवसर

4. ब्लाप

5. उपेंगों के इवस्य मे श्रमिकों का अवग

6. लड़ाका

7. परिग्राहों का लान

8. नेट्रल

9. बेल साहित छुइभा

10. भ्रय का अन्नाब

11. संकुचन परामर्श

12. स्वनामक प्रवाही

13. कार्य मे गर्व की भ्रावना

14. दार्दित्य का सोपला

(A) मोटी फ़ेर्नों की शान्ति के लिए विज्ञान विद्या देना पैसे ज़्यादा बेत, महंगा भवा है। धन से समर्पित जाप सामग्री

(B) महंगाई भवा → यदि गुणतन कर्मचारियों को नियोजना के द्वारा उपचारिता वस्तुओं की बढ़ी हुई नीतियों से राहत पहुंचाने के लिए हिंदा जाता है। तब: महंगाई भवा कर्मचारियों की नीतियों ने उधार उपचारिता प्रक्रियाको बदल दिया होने पर कार्रवाई के रूप में हिंदा जाता है। इसको ही महंगाई भवा कहा जाता है।

(C) लाभ - आगीत → यदि लाभ का कुछ आग शान्ति को दिया जाता हो क्यों भाल के उपचार में नियन्त्रित होती और उत्पादन में इपोज जान वाले भव्यों का इपोज सामयिकक दिया जाता।

परिमाण लाभ - आगीत ऑपोजिक पारिशिक की बहु विवेद्य है जिसके अन्तर्गत नियोजना भवा कर्मचारियों के उनके वेतन के अहिकिता संस्थानों के द्वारा लाभ में से श्री रुप नियन्त्रित अंश देने का वर्णन देता है - 1. L.O.

लाभ

- (1) ऑपोजिक शान्ति शान्ति के लाभ के रूप में आवधि वेतन नियन्त्रित ऑपोजिक शान्ति बनी रहती है।
- (2) उत्पादन में हुई शान्ति मध्येक वेतन पौत्र के लिए मध्येक उत्पादन करता है।

- (3) नियन्त्रित शान्ति मध्येक समयानी तथा परिमाण के साथ काढ़ करते हैं जो संख्या के द्वारा भेजा हिं समझते हैं।

- (5) शोषणी में स्थानिक लाभ - आगीत से शान्ति अपने जापी विभागों से संतुष्ट रहते हैं और वाट-2 नॉडरी नहीं बदलते। नियन्त्रित में क्षमी इस प्रणाली में शान्ति कानून के छाते नियन्त्रित हिं समझते हैं और नियन्त्रित विं उत्पादापात्र वी आवज्ञा से कानून करते हैं।
- (6) ऑपोजिक लोकर्टर्ज इसके शान्ति की वेतनभौति के समझकर उपोज वी उन्नति में वरावर का आगीत जापा जाता है।
- (7) शान्ति की जाप तथा काम्पुशलता में हुई।
- (8) समाप्त की लाभ

- दोष
- (1) प्रभाव और पुरस्कार में इपोज सम्बन्ध का अभाव
 - (2) लाभ की अनियन्त्रितता
 - (3) पुरस्कार नियन्त्रित होती
 - (4) उत्पादन शान्ति के लिए मउपपुर्जा
 - (5) श्रद्ध संख्यो द्वारा विरोध
 - (6) नियन्त्रित द्वारा विरोध
 - (7) नियोजना जी द्वारा विरोध
 - (8) शान्ति में असन्तोष

- (III) सदमागीत
- सदमागीत में लाभ विज्ञान तथा 115-10 दोनों का सम्बन्ध होता है।
 - लाभ
 1. शान्ति को लाभ रसो शान्ति को वेतन, अरावर्क विकास विभाग के रूप में नवन्योग में हिता :
 2. ऑपोजिक नियात्रा की स्थाना शान्ति को उपोज वी वहुन समझने वाली विभाग द्वारा दिया जाता है।
 3. शान्ति विं नियोजना सम्बन्ध उपोज वी नियोजना अव शान्ति में दोनों का उत्तम उत्तम विनियोग द्वारा रहती है।

(v) निरीक्षण में काम (vi) औपचारिक विकास

(vii)

बैनस

\Rightarrow बैनस से आशपु उस मोहिन शुगतम से हो जो श्रीमती को उनकी मंजरी के अतिरिक्त उनकी सेवाओं के रूप में दिया जाता है। इसका शुगतम संघर्ष डारा अपने जाग में से बिंदा जाता है। बैनस से अंगताम वह अतिरिक्त शुगतम है जो श्रीमती को अच्छे काम के लिए दिया जाता है।

बैनस के मिथिरल संवादी सिद्धांत

(v) क्या बैनस अनुग्रहात्मक शुगतम है? क्या इसका शुगतम नियमित वी इच्छा पर नियर करता है?

(vi) क्या बैनस रुक स्थानीय मंजरी है? क्या श्रीमती बैनस के रूप में मांग सकते हैं?

(vii) क्या बैनस उपोग के लाभ का रूप आज है? क्या श्रीमती इसकी कांग अधिकार के रूप में मांग सकते हैं?

बैनस की गणना

श्रीमती को किसना बैनस में दिया होता चाहिए। इसके लिए क्रम अपील समिक्षण ने रुक सिद्धांत विकासित किया है, जिसका उच्चतम व्यापारात्मक प्रता अनुमोदन (Approval) किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पहले उपेंगों को कुल अपील लाभ बिंदा जाता है उसमें से निम्न राशि के लिए वृद्धक व्यवस्था कर ली जाती है:

Profit

- Provision for Depreciation
- Reserve for Rehabilitation (उन्वेताल)
- Interest @ 6% on Paid-up Capital
- Interest on Working Capital
- Income-Tax Provision

Profits available for ~~for~~ Bonus.

(viii) अविहीन फ़ेरगारे

अविहीन फ़ेरगारे के अंतर्गत उन समान अविहीन, सामाजिक विनोदवानिक कानूनों के शान्ति किया जाता है जिनके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को अधिकतम और श्रेष्ठतम काम-सम्बन्ध के लिए फ़ेरगारे प्राप्त होती है। ऐसे अविहीन से अधिक कामी नुस्खता से काम करवाने के लिए अविहीन फ़ेरगारे की रुक नहूल्हारी श्रद्धिका है। उपेंगों में अनुबंधलालतम उत्पादन परिवर्तनों के नियन्त्रण के लिए अविहीन फ़ेरगारे का अधिकारिक फ़ैसला देना चाहिए।

1. नोकरी की छुट्टी

2. प्रतिमागता \rightarrow कर्मचारियों में छात्रमासित की आवश्यकता पैदा करने से उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। छात्रमासित समान मैट्रिक्युले वाले कर्मचारियों से कर्वड़ी जाती है।

3. उन्नति के मानस

4. व्याप

5. उद्योगों के नवन्याय में कानून का अध्ययन

6. प्रशंसा करना

7. प्रतिवादों का क्लानु कर्मचारी प्रिय कामी को करते हैं ताकि उनके कामों के परिणामों की बदलाव उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक नियर किया जा सकता हो।

8. नेटवर्क

9. बैल सहित घुटाई

10. ग्रंथ का अध्ययन

11. आधिकारों का सोच पाना

12. मानस उत्पादन कर्मचारी भव नाहरा है तिरुसे कामी में ऐसे महत्वात्मक सम्बन्ध प्राप्त होते हैं, उसका कामी उत्पेक्षी हो तुसे उत्पादन के लिए और आवश्यक माना जाए।

आधिकारिक संघर्ष

आधिकारिक विवाद का अर्थ निम्नलिखित है।
जब शासकों के मध्य लगे, उन्होंने इसे विवाद से है।
निपोक्ता और आदिकों में किसी भी समाज का विरोधाभास
आधिकारिक विवाद कहलाता है।

विस्तृत अर्थ में आधिकारिक विवाद का अर्थ निम्नलिखित है। निपोक्ता के मध्य, शासक और निपोक्ता के मध्य शासक
के मध्य उल्लंघन किसी भी धर्म के विवाद या
महादे से होता है। मध्य विवाद राज्यांत्र, कार्यदराजा एवं
शासन से सम्बन्धित भागों पर हो सकता है।

आधिकारिक विवादों के कारण

आधिकारिक विवाद उस समय उल्लंघन होते हैं जब शासक या शासक संघर्ष हारा इस्तुत किए गए
भागों पर निपोक्ता विवाद नहीं करते।

(1) उड़ताल → उड़ताल से भिन्नः उस स्थिति से है जब
शासक अपनी मांगों को छोड़ कर वाले के लिए कार्य के
स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और कार्य नहीं
करते हैं।

विवरण— 1. उड़ताल आम संघर्ष हारा की जाती है। याद संघर्ष
में आम संघर्ष नहीं होते क्षेत्रान्तरां हारा काम कर कर
दिया जाता है।

(ii) शासकों द्वारा कार्य को साफ़ारी कर से कर करना—पारिक
पर्याप्ति क्षात्रजवाह काम कर करने या अर्ही करने या विविक्तार
कर करने की स्थिति जो उड़ताल होती है।

प्रकार— (i) सोकेटिक उड़ताल (ii) निपोक्तानुसार कार्य उड़ताल
(iii) दौर कार्य करो उड़ताल (iv) अख्य उड़ताल
(v) काम छोड़ो उड़ताल (vi) सदाहुचूटी उड़ताल

(2) ठालावन्दी → ठालावन्दी से भिन्नः उस स्थिति से है जब शासक
मालिक उस समय तक दिल द्वारा बन्द कर देते हैं, जब तक
कि शासक उसके हारा इस्तुत शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेते,
ठालावन्दी के पैदें यद्युद्येप रहता है तो शासक उसके
हारा इस्तुत शर्तों को स्वीकार कर ले।

(3) द्विराव → इसके शासक निपोक्ता या पूरकपक के अपनी मांगों
द्वारा करवाए जे उद्येप से द्वे लौटे हैं तथा उन्हें बाहर आने-
जाने नहीं होते। द्विराव तब तक किया जाता है जब तक उन्हीं
मांगों को नहीं माना जाता।

(4) बन्द (Ban) → जब कोई विवाद का समाधान निपोक्ताओं हारा
नहीं किया जाता और शासकों हारा उड़ताल का हृषीण भी जब
सफल नहीं हो रहा होता हो तो वे उड़ताल को और उग्र
रूप बन्द हैं जो उड़ताल के रूप में सामने आते हो। राम:
भाग संघर्ष मांगों को भवाम के लिए जिन स्तर पर
राज्य स्तर पर आधिकारिक भूमिकों के कार्य को बन्द कराने
का प्रयास करते हों।

विवादों के कारण

(a) आधिकारिक कारण— (i) कम मजदूरी (ii) महंगाई भवा (iii) आधिकारिक
लाग (iv) बेस लग कर्म की धारे (v) कर्म घटते।

(b) सामाजिक कारण— आम संघर्षों को भास्तरा नहीं (2)
समस्तों का उल्लंघन (3) निरोक्तों हारा उल्लंघन
(4) दोषपूर्ण पर्याप्ति गति (5) दोषपूर्ण धन्ती, परावनारी, निःशासन
(6) स्वार्थ ने दंड

(c) राजनीतिक कारण— (1) राजनीति का भगव (2) आम संघर्ष
आंदोलन (3) सरकार के दिल उड़ताल

आधिकारिक संघर्षों की विवादों की विवरण

(1) कार्य समिति → कार्य समितियों की स्थापना शान्ति को लेकर नियोजनाओं के मध्य समाजप्रदूषकों प्रामाण्य पर क्षियार-विमर्श करने के लिए की जाती है। लेकिन इस संघर्षों में लहरा 100 या 100 से अधिक शान्ति भा. परिवर्तन 12 अप्रृष्ट गे नियुक्त लिए गए हैं उनके लिए सरकार सार्वत्रिक व्यवस्था का अंदरशील दे सकती है।

(2) स्थानीय जागरूक

शान्ति को रोजगार सम्बन्धी शैक्षणिक विषयों पर, दृष्टि जै सम्पर्की अनुशासन से सम्पर्की, दृष्टि से स्पष्टी कर दी जाए। उनकी प्रयोगनीति, बेल बोर्ड, उम्मेद शुगरलन की विवेद जाइ सभी बोट स्पष्ट होंगी हो। नियोजनों के रोकने में सहयोग मिलेगी।

(3) शान्तिराजी शम संघ

एक शान्तिराजी शम संघ मार्द संस्था में मौजूद है तो नियोजना शान्तियों का व्योग्यन नहीं कर सकते, नियोजना किमी श्री गलत कार्य के करने से उत्तर हो।

(4) वेतन बोडी

आधिकारिक विवादों का मुख्य कारण भजद्वारी है। रमाली जलरी दोगा है कि एक बेल बोडी की स्थापना की जाती है जिसका उद्देश्य विभिन्न शान्तियों को उपर्युक्त पारिकारिक दरों को नियन्त्रित करना एवं अधिकारियों के अनुसार अधिकारिक कर्तव्य उठाना।

(5) शान्ति की प्रबन्ध में सहभागिता

इसका उद्देश्य शान्तियों को

आधिकारिक विवादों की विवरण

(6) संमुदाय व्यवस्थापन समिति

इसका उद्देश्य विभिन्न भागों पर महाराजों को दूर करने व्यवस्थापन करने की नियम लेना होता है इसमें अनानुराग विवादों को रोका जाता है।

(7) शिक्षाप्रति लुप्ति की विवरण

मीर तंत्रों में शिक्षाप्रति लुप्ति के उद्देश्य सुलझाने के लिए उपर्युक्त व्यवस्था कर दी जाए तो विवादों को कम किया जा सकता है।

(8) लाग-सदमाहिता

लाग सदमाहिता में शान्तियों को भजद्वारी के अन्तरिक्ष लागों में से उच्च विद्या प्राप्त होता है जो आपत्तीस्थैतिक से नियन्त्रित कर लिया जाता है इससे भारी पारस्परिक विवाद बढ़ती है।

(9) काम-कल्याण आधिकारी

कारबाहा आधिकारियों में इस बाहर की व्यवस्था है कि जहाँ 100 या 100 से अधिक शान्तियों कार्य करते हैं वहाँ पर काम कल्याण आधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है।

आधिकारिक विवादों के निपटारे की विवरण

(A) विवादों के कारणों की जांच

(B) नियम व्यापार निपटारा

(C) विवाद के कारणों की जांच

(D) कार्य समितियाँ

(E) समस्तों आधिकारी → उपर्युक्त सरकार आधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है जो आधिकारिक विवादों में विपरीत वर्तने निपटारा करने का उपाय करेगा।

38

(3) समसौत वाई → जब किसी विवाद के चुलशान में समसौत आधिकारी असफल रहता है तो ऐसी अवधियां अप्रैलिया जाती करके उपर्युक्त सरकार समसौत वोट का गठन किया जाता है। वोट से नियमिता व शाफियों के सरकार बराबर संख्या में होती है।

(4) ऊंच सामैट → ऑपोजिट विवाद से संबंधित किए जाने वाले वी ऊंच पड़ताल के लिए आधिकारी जारी करके उपर्युक्त सरकार ऊंच समिति का गठन कर सकती है। ऊंच व्यापालय के लिए एक भा. आधिकारिक व्यापालय की नियुक्ति की जाती है।

नियम द्वारा दियताः

- (1) श्रम - व्यापालय (Labour Court)
- (2) ऑपोजिट व्यापालय (Industrial Tribunal)
- (3) राष्ट्रीय व्यापालय (National Tribunal)
- (4) अंतर्नियन्त्रण (Arbitration)

(1) श्रम - व्यापालय → ऑपोजिट विवाद नियम के लिए इस व्यापालय के अंतर्गत सौंप जीने वाले कानून के लिए श्रम व्यापालय की नियुक्ति कर सकती है। इसमें सरकार द्वारा नियुक्त केवल एक ही व्यक्ति होता है। श्रम व्यापालय का अद्यतन वही हो सकता है जो किसी ऊंच व्यापालय का जज रह रहा है। जिला व्याधियां द्वारा पढ़ पढ़ कर से कम 3 वर्ष वायर, किसी व्यापालय में कम से कम 9 वायर व्याधियां रह रहा है। या ऊंच वर्ष संग्राही रह रहा है। जिला व्यापालय के अपना नियम के सकल हैं। 1. स्थायी ऑफिसों की व्यावहारिकता व उनके काम के उत्तराधिकारी वी दोनों नियुक्ति के मामले,

उ. किसी व्यापालय द्वारा 4. दृढ़तावान वायापालय के केवल के मामले ऑपोजिट व्यापालय → ऑपोजिट व्यापालय में कम ही व्यक्ति सुन्दर उपर्युक्त सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि कम से कम 3 वर्ष के लिए व्याधियां आ स्ट्रिक्ट जिला व्याधियां रह रहा है। जिला व्याधियां वा अट्रिडिक्ट जिला व्याधियां रह रहा है। या जिला व्याधियां ने नियम देखा है। 5) मजदूरी शुगरान की उत्तरी व दक्षिण (2) नियम देखा है। 6) मजदूरी साहू अवधारण (7) Bonus, PF के मामले 7) वेतन की विनियोग के मामले (8) श्रमिकों की घंटी ला संघरण की बदले

(9) राष्ट्रीय व्यापालय (National Tribunal) → राष्ट्रीय व्यापालय की नियुक्ति उस स्थिति में वी जाती है जब कोई जेल विवाद उत्पन्न हो जाए जो केंद्रीय सरकार के मर में राष्ट्रीय महानव का है। कोई मामला यदि उससे एक या एक से अधिक शायदी के ऑपोजिट संख्याओं पर फ़ायदा पढ़ सकता है तो केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय व्यापालय की नियुक्ति कर सकती है। इसी केवल वही व्यक्ति नियुक्त होता है जो उच्च व्यापालय का व्याधियां रह रहा है। अपना लोक अपीलेट द्विविनाल का कम से कम 3 वर्ष सत्य रहा है।

इसी अपकी कामियाही करके नियमित अवायल में फ़ेसला दें। फ़ेसला द्वारा होने के 30 दिन के बीते उपर्युक्त सरकार रोक रखा जाता है। उकारार फ़ेसला जानकारी होता है। और जिसी वी व्यापालय द्वारा उस पर आपकी नहीं उठाई जाती है। उकारार होने के 90 दिन के बाद अद्यतन फ़ेसला उत्तराधिकारी होता है।

(10) अंतर्नियन्त्रण → अंतर्नियन्त्रण विवादग्रह भागल में नियम लायकी इस नियम प्राप्त करने की उम्मीद है। वस्तु के लिए विवाद से सभाधीन वक्तों की विवाद सभी सदमान होता अवधारण। अंतर्नियन्त्रण

के अंतर्गत हीने पढ़ी की दौर से बाहर संगठन में पैदा निपुक्ति किए जाते हैं। फैल विवाद की जोग-पड़ताल करते हैं तथा अपना फैसला उपर्युक्त सरकार को प्रहुत करते हैं।

आधिकारिक संवेदन

आधिकारिक संबंधों का अर्थ शास्त्रिकों एवं प्रबन्धकों के मध्य संबंधों अथवा शास्त्र-संघों एवं नियोन्मता संगठनों के मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस लकार, नियोन्मता की एवं शास्त्रिक की के अस्तित्व के बिना, भइ संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अर्थः आधिकारिक संबंधों का अस्तित्व एवं आधिकारिक संस्कार के लिए भी सम्भव नहीं है। आधिकारिक संबंधों से जाश्च इन्हें कमन्यारियों अथवा कमन्यारियों एवं उनके संगठनों के बीच उन संबंधों से है जो रोजगार से जुड़े हैं हैं।

आधिकारिक संबंधों को घटाकृत करने वाले घटक

- (1) संगठन की आधिकारिक संबंध नीति (2) भजदीरी एवं वेतन का घोषणा
- (3) कार्य की व्यापार (4) क्रान्ति संघ, उनकी नीति (5) भर्ती नीति (6) स्थानान्तर (7) पदोन्नति (8) पद-उभनति, निलम्बन, सेवामुद्देश, घटनी (9) शिक्षागत-समाधान, त्यक्षणा, (10) परिवेशों का व्यवहार (11) नाम-आयोगित्व

सिद्धांत (1) शास्त्र-संघों एवं नियोन्मता संघों के मध्य "विचारों का छुट्टा एवं स्वतंत्र आवान-प्रदान" होना चाहिए

- (2) आधिकारिक विचारों को सामूहिक सोकेवाली हारा निपत्ति जाना
- (3) शास्त्रिक संघ एवं नियोन्मता संघ में आधिकारिक संबंधों की स्थापना के लिए आपस में सहयोग की रक्षा होनी चाहिए
- (4) उचित परिक्षिका दिया जाना चाहिए
- (5) शास्त्रिकों के हात मानवीप व्यवहार किया जाना चाहिए
- (6) सभी शास्त्रियों के साथ सम्मान व्यवहार
- (7) आधिकारिक स्मारक में शास्त्रिकों का आपत्ति स्थापित होना चाहिए।

बुरे औपेंग संबंधों का प्रभाव

(A) समिति पर प्रभाव	(B) नियोक्ताओं पर प्रभाव	(C) सरकारी विभागों पर प्रभाव
1) अपूर्णता का नुस्खा	1) उत्पादन में कमी	1) आपूर्ण का उत्पादन
2) नियोक्ताओं पुरा अवधार	2) लाजी में कमी	2) समाज में अवधार
3) आपूर्ण दाने	3) संगठनों पर कुराम सर	3) विभिन्न फौटों द्वारा
4) संबंधों में कहर	4) नाचीप संबंधों पर	4) आरेप:
5) कोरियर पर बुरा प्रभाव	5) ड्रा असर	
6) शारीरिक नुस्खा व स्थूल	6) मशीनिंग उपकरणों का उत्पादन	
	7) स्थायी रूपों कमी के नियाम	
	8) दर विफरी प्रभाव	
(D) उपचारों पर प्रभाव	(E) अन्य प्रभाव	
1) कमरों में छाइ		
2) बहुमों का अप्राव	1. ऑपेंग विभाग पर कुरा प्रभाव	
3) बहुमों की विस्त	2. दैरा के आपूर्ण विकास में बाधा	
4) बुरा प्रभाव	3. अधिकारियों में अतिरिक्तता	

ओपेंग संबंध के पक्ष

ओपेंग विभाग एवं शाही उच्चे

ओपेंग संबंधों पर विवर करती है। ओपेंग संबंध उद्देश्यों के विवर की विभागों में रोल्गार के परिणामश्वरूप उत्पन्न होते हैं। ओपेंग संबंधों के बीच श्रृंखला से श्रृंखला परिवर्तन होते हैं। शाही का एक नियोक्ता का किन्तु रूपन् वे इन संबंधों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण अधिकार का विविध करते हैं।

(1) इवल्य शाम-प्रबन्ध संबंधों की स्थापना, अच्छे औपेंग संबंधों

के लिए आवश्यक है कि शाम प्रबन्ध में इवल्य संबंध हो। 1. शुद्ध पिंडादार व लोकतां दर आवारत शाम संबंधों का होता है। 2. अच्छे शाम प्रबन्ध संबंधों की रचाना के लिए यह भी आवश्यक है कि औपेंगिक विवादों का नियां साकृतिक सोइबाची के माध्यर दर हो।

(2) ओपेंगिक शाही की स्थापना, ओपेंगिक शाही ही ओपेंगिक विभाग का आवार है। इसलिए यह आवश्यक है कि उच्चों में ओपेंगिक शाही बनाए रखें के लिए ओपेंगिक विवादों की रेक्टिप्राप्ति व निपत्र की प्रभावी व्यवस्था हो।

- (1) कमी संतुष्टियां (2) समसोला आपूर्णी (3) सलोहकार समसोला-बोर्ड
- (4) जात्य संतुष्टियां (5) शाम अप्पालम (6) ओपेंगिक व्यापारिकरण
- (7) शहदीप व्यापारिकरण (8) प्रतिनिधि (9) भद्रभवति

(3) ओपेंगिक लोकतां की स्थापना

इन संदिग्धों से कारबाहों में लोक के नियम, धंती, विवेकिय, तलावदी वया दण-प्रबन्धार के संबंध में दरार्दी लिया जाना चाहिए। इन सभी उपकारों से कारबाहों में संतोष की गाला उत्पन्न करके उनसे ऊर आधिक सहीग नाप लिया जा सकता है।

क्षेत्र

ओपेंगिक संबंधों के अंतर्गत गर्भी-चयन, अधिकों वा फ़िशिश, मानवीय संसाधन प्रबन्ध, साकृतिक सोइबाची नीतियां शाहिल हैं, ओपेंगिक संबंधों का क्षेत्र जाक शाम-संघ व भाष्यों प्रबन्ध तक ही सीमित नहीं है, बाल्क इसके महंगति

स्वतंत्र के सभी पक्षों को शान्ति दिया जाता है। मध्यसंघ, उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा, मध्यसंघीय कमीशन व नीतियाँ, अग्र संघ नीतियों को भी इन शान्ति दिया जाता है।

- (१) ओपोजिट संबंधों की नीति एवं लक्षण
- (२) जन सभ्यता (३) अग्र सभ्यता (४) भर्ती, नुनाव, बहुली
- (५) संघन की लोकन व्यवस्था (६) रौजगार दरीकामों की व्यवस्था (७) इशेन्डांग एवं रिहाई कानून की व्यवस्था (८) नियंत्रिता एवं व्यापक सेवाएँ (९) कमीशनों की व्यवस्था (१०) कर्मचारीपों की छव्वीत का सर्वेत
- (११) इन्डियापो इन्डिया के कार्य करना
- (१२) नियंत्रितों को लागू करना
- (१३) शान्तिको की शिक्षणरोपी को दृढ़ करने की व्यवस्था
- (१४) सेवा निधि एवं पैसान कार्यक्रमों की व्यवस्था
- अन्य ओपोजिट संबंधों की आवश्यक शान्ति

१. ओपोजिट संबंधों के दोनों पक्षों ने युला एवं विनाश ही-पतीप समझदान है। चाहिए
२. नियंत्रित इरान शान्तिको को सभी स्तरों पर उपरिणियता एवं उत्तिज्जवल करना
३. स्वतंत्र इंडिया व शान्तिको की छव्वीत में आगीदारी
४. सभी स्तरों पर अच्छे मनवीय सम्बन्ध
५. प्राप्ति संवेदनालय की व्यवस्था
६. सरकार द्वारा उपरिणियत शान्ति का नियंत्रण करना
७. अग्र संघों के लिए समर्पोत्ता की व्यवस्था होनी चाहिए
८. राष्ट्रीय करन एवं अपूरी नीति की व्यवस्था


कंपनी

अंशों का नियंत्रण

सकाकी रुक्षव्यापार और सांकेतिक संगठन की बढ़ती हुई व्यावसायिक को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। इनकी अपनी सीमाएँ हैं जैसे कि सीमित छांजी, सीमित जीमता, अस्थिरता व व्यापत्रित आदि। इन कमीओं को दूर करने के लिए कंपनी अस्तित्व में आई। कंपनी कुटुंबितमों का संचिह्न संघ द्वारा है जिसका विभिन्न कानूनी प्रक्रियाएँ के नेट द्वारा होताहै। प्रियगांधी:- प्रै० हैने के अनुसार— “कंपनी कानून द्वारा नियंत्रित एक कृतिम प्रक्रिया है जिसका छन्द अस्तित्व, नियंत्रण उत्तराधिकार और एक सार्वभुवा छांति है।”

विशेषताएँ— (१) प्रबन्ध विधानिक अधित्तत्व (२) नियंत्रण उत्तराधिकार (३) सार्वभुवा (४) सीमित वापत्रित (५) स्वार्व जीवन (६) प्रबन्ध का स्वापत्रित से अलग होना (७) अंशों का दृस्तात्वण

कंपनी के प्रकार



अंश— कंपनी अधिनियम १९५६ के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रत्येक कंपनी की पूँजी हीटे-होटे हिस्सों में बटी हुई है। ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है जैसे एक कंपनी जी पूँजी २००,००० रुपये है और प्रत्येक दस-दस रुपये के २०००० रुपये में बटी हुई है तो प्रत्येक दस-दस रुपये का हिस्सा अंश कहलाएगा।


अंश के प्रकार

समता अंश

पूर्वाधिकार अंश

समता अंशों से पहले भावांश व भुगतान पाने का अधिकार

पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार



उ. अधिकृत पूँजी → वह पूँजी जो पार्वद स्थिरान्वयन में लिखी दी गई है कंपनी अपने जीवन कोलम में इससे आधिक अंश निर्गमन नहीं कर सकती है।

(2) निर्गमित पूँजी : → अंश पूँजी का वह भाग जो जनता की भारी निपुणता जाता है।

(3) आर्थित पूँजी : → निर्गमित पूँजी का वह भाग जिसके लिए वास्तव में जनता से उपर्याग पत्र प्राप्त होता है।

(4) आर्थित जा. गाँगी पूँजी → संचालकों द्वारा निर्गमित पूँजी का वह भाग जो जनता पर अंशधारियों से भाँग लिया जाता है।

(5) चुकता पूँजी → आर्थित पूँजी का वह भाग जो अंशधारी द्वारा कंपनी को चुका दिया जाता है।

Reserve Capital

(6) आरक्षित पूँजी →

जो माँगी गई पूँजी का वह भाग जिसे समाप्ति की होड़कर अन्य के लिए देता है नहीं मंजूरी प्राप्त जा सकता आरक्षित पूँजी कहलाती है।

पूँजीगत संचय :

जो संचय इंजीग्रह लालों से बनाए जाते हैं उन्हें पूँजीगत संचय कहते हैं। इनका उपयोग लाभांश बाटने के लिए नहीं किया जा सकता है।

स्वीट संस्ता छांश :

उस अंश जो कंपनी द्वारा अपने कंपन्यारियों द्वारा संचालकों को कठोरी पर भा नकीर के अतिरिक्त डॉलर प्रतिफल के बढ़ते निर्गमित किए जाते हैं।

प्रैन्सप अनिवार्य →

इस हेसी राशि जो कुपची जाने वाली संपत्ति या दूषण चुकाने, आरंभिक व्ययों का उत्तरान करने, अंगीजीपन कामीशन देने, दबाली देने, उद्यार चुकाने व्यवस्था व्यापार का संचालन करने के लिए पर्याप्त हो कंपनी मध्यमियम के अनुसार अद राशि कुल निर्गमन का 90% होती है।

प्रारंभिक व्यय →

कंपनी की स्थापना पर किए जाने वाले खरीदों की आरंभिक व्यय जहरते हैं।

Books Building →

अंश निर्गमन की नई पुस्तियां जिसके

तदृत निवेशकों से बोलिया (जोनी) लंगवाई पाती है।
जिसके द्वारा सावसे जौनी बोली लगाई पाती है उसे
अंशधारिय मूल्य पर ही अंश निर्गमित कर दिए जाते हैं।

अंशों का निर्गमन → ① सभ मूल्य के कटी ही ② श्रीमीगम

प्रून अविद्यान → जिसने अंश कंपनी ने पारी किए जनता द्वारा
उससे कम आवेदन करना।

आविक्तम अविद्यान → जिसने अंश कंपनी ने जारी किए हैं जनता द्वारा
उससे ज्ञाधीक आवेदन करना।

अपत्रभाचना → अंशधारि द्वारा आविद्यन या भाचना का सभ मा भाग
कर चुनौतिन ने कर पाना।

भागिम भाचना → अंशधारि द्वारा कंपनी के न माँगने पर भी आवंटन
के साथ भाचना का चुनौतिन करना।

अंशों का दरण → कंपनी द्वारा लाख-लाख नोटिस करे पर भा
माँगने पर भी अंशधारि द्वारा आवंटन का भा
भाचना की राशि का चुनौतिन न करने पर ~~कंपनी~~
अंशधारि मारा नुकाई गई राशि की जब्त करना अंशों का
हरन बहिलात है।

पुनर्निर्गमन →

कंपनी द्वारा जहाँ किछु अंशों को किसी दूसरे
अंशधारि को निर्गमन करना।

आधिकार अंश →

अंश हुंडी के बड़ी करने के लिए जब तक कंपनी उत्तरव
पास नहीं करती है नए अंश अपने वर्तमान अंशधारियों को
दी निर्गमित करती है इन नए अंशों को आधिकार
अंश कहते हैं।

पुर्वाधिकार अंशों को शोधन

शोधन का धर्व → पुर्वाधिकार अंशों के शोधन का धर्व उन्हीं का
चुनौतिन करना। धारा ४० के में शोधन के नियम
दिया गया है।

⑤ पुर्णदत्त →

आधिकार दूसरे अंशों को पुर्णदत्त होने पर
दी शोधन कीमा जाह सकता है।

⑥ लाभ भा ने ने निर्गमन →

कंपनी अपने पास उपलब्ध
लानों में से भा फिर नए अंश निर्गमन करने
वे प्राप्त राशि से ही शोधन कर लकी है।

⑦ पुंछी शोधन संचय रखता →

कंपनी द्वारा पुंछी शोधन
संबंध खाता खोलकर उसमें उपलब्ध धनराशि
से शोधन करती है।

बोनस अंश

जब कंपनी हारा अपने विद्यमान ग्रेडाप्यारेजों को भुक्त में अंश दिए जाते हैं तो ऐसे अंशों को बोनस अंश कहते हैं।

ग्रेडपत्रों का अर्थ:-

जब कंपनी की विवरकाल के लिए यह यह

आवश्यकता पड़ती है तो वह ग्रेडपत्र निर्मित करती है।
कंपनी हारा निर्मित किया गया ग्रेडपत्र को सटीकिट के रूप में होता है जिस पर कंपनी द्वारा और उन्हीं द्वारी होती है ताकि कंपनी हारा को ग्रेडपत्र का एक निश्चित प्रमाण होता है।

विशेषता →

- ① इस पर कंपनी की मोदर अंकित होती है।
- ② इस पर व्याल की दूर निश्चित होती है।
- ③ इसका निश्चित तिथि पर भुगतान का अनुबंध होता है।
- ④ ग्रेडपत्र कंपनी की संपत्तियों पर सुरक्षित होते हैं।
- ⑤ इसका भुगतान प्राप्ति आवादी के क्रिए वाद किया जाता है।
- ⑥ इन पर व्याल दर को छोड़ने के दृष्टि है।

बोन्ड → भद्र वाप्ती द्वारा नक्काश से मिलता है जो स्ट्राइकर चरकर जारी करती है। ग्रेडपत्र और बोन्ड में भुगतान अंतर है ग्रेडपत्र पर ज्यादा दर निश्चित होती है जबकि बाउद किया जाता है।

जीरी छोड़न वाप्ती →

उस वाप्ती वाप्ती की आवी की दर निर्मित किया जाता है।

ग्रेडपत्रों के योग

- ① बंद्योक्त ग्रेडपत्र → ऐसे ग्रेडपत्र जिनके भुगतान पर संपत्ति वंचक दरही होती है।
 - ② अराधित ग्रेडपत्र → ऐसे ग्रेडपत्र जिनके भुगतान पर संपत्ति वंचक दरही होती है।
 - ③ राजिस्टर्ड ग्रेडपत्र → जिसमें ग्रेडपत्र के वारकों का नाम कंपनी के राजिस्टर में दर्ज किया जाता है।
 - ④ वाइक ग्रेडपत्र → ऐसे ग्रेडपत्र जिनका वस्ताविक खुदर्दगी भाव से ही जाता है।
 - ⑤ शोध्य ग्रेडपत्र → ऐसे ग्रेडपत्र जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में ही कर देती है।
 - ⑥ अशोध्य ग्रेडपत्र → ऐसे ग्रेडपत्र जिनका भुगतान कंपनी कंद होने पर किया जाए।
 - ⑦ परिवर्तनीय ग्रेडपत्र → ऐसे ग्रेडपत्र जिनमें कंपनी सभी अंशों में परिवर्तन करने का अवसर है।
- ग्रेडपत्रों का शोधन → शोधन का अर्थ है ग्रेडपत्रों की राहि का ग्रेडपत्र - वारिओं की भुगतान करना।
- शोधन के प्रकार →
- ① नए अंश एवं ग्रेडपत्रों के निर्माण से प्राप्त धन में से शोधन
 - ② पुँजी में से शोधन
 - ③ ग्रेडपत्रों का लाभों में से शोधन

ख्याति का मूल्यांकन

ख्याति का अर्थ → जब कोई पर्सन श्रावकों के अंशीं सेनारे पुढ़ना करती है। तो ऐसे श्रावक भी संतुष्ट होंगे। बदलार-लार आएंगा। इससे कर्म को उमिद्धी मिलेगा। ऐसी उमिद्धी की ख्याति कहते हैं।

परिभाषा → लाई लिंग्स के अनुसार → "ख्याति सम्बन्धीं तथा पुरिद्धी जो हीने वाला लाभ है।"

विशेषज्ञता

- (1) ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है।
- (2) ख्याति संपूर्ण व्यवसाय के क्रम करने पर ही मूल्यवान होती है।
- (3) इसके मूल्य में उत्तर चढाव आते रहते हैं।
- (4) ख्याति का सही मूल्य वाले नहीं किया जा सकता है।
- (5) ख्याति का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
- (6) ख्याति क्रम की गई ग्रास्वयं अर्जित की गई हो सकती है।

ख्याति के मूल्य की पुनर्वात जैन वाले दारकं

- (1) पुण्ड्र की कुशलता (2) वस्तु की पुकृति (3) व्यवसाय की अवधि (4) व्यवसाय का व्यावरण (5) लाइसेंस का हीना (6) छात्राधिकार (7) जीवित जी मात्रा (8) लालों की प्रवृत्ति (9) वीविध जी उत्तिस्पद्धा (10) पुंजी की मात्रा (11) औद्योगिक संबंध (12) अद्वैत सरकारी नियम (13) श्रद्धा की लोकप्रियता

ख्याति मूल्यांकन की विधियाँ

- (1) औदात लाभ विधि (2) आद्य लाभ विधि (3) पुर्जीकरण विधि
- (4) क्रम प्रतिफल विधि (5) वार्षिक हृति विधि

अशीं का मूल्यांकन

- आवश्यकता → (1) उपदार में भिल अंशीं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इस व्याप्ति की स्थिति भी दशा में उसके ठशराधिकारी छारा मृतक जी संपत्ति के मूल्यांकन के लिए
- (2) व्यन कर के निवारण के लिए
 - (3) निजी कंपनियों के अंशीं के कुम-विक्रम के लिए
 - (4) कंपनी के उभारिण करने पर
 - (5) ऋण लेने के लिए अंशीं को गिरवी रखने पर
 - (6) अंशों जी प्रकृति में परिवर्तन करने के लिए
 - (7) अंशों को प्रबाली (Chubali) के रूप में रखने पर
 - (8) एकाकरण देने पर असंतुष्ट अंशाधारियों को जुगतान करने के लिए
 - (9) राष्ट्रीयकरण जी दशा में धर्तिशुर्ती का निवारण करने के लिए

अशीं के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले वटक

- (1) व्यवसाय की प्रकृति (2) पुरिभौतिकता की सीमा (3) कंपनी जी वर्तमान आवश्यक (4) अन्य कंपनियों जी लाभदार (5) कंपनी जी लाभांश नीति (6) विरीग अनुपात (7) कुशल पुण्ड्र
 - (8) सरकारी नीति (9) राजनीतिक दशा (10) बीनस अंश की संभावना (11) सरकारी नियंत्रण जी सीमा (12) अंशीं जी माँग और पूरी
- अंशीं के मूल्यांकन की विधियाँ

- (1) शुद्ध संपत्ति विधि
- (2) आभ विधि
- (3) औसत विधि

लाभांश आभ विधि
उपार्जन हास्ता विधि